(b) if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) (a) and (b) In order to protect the interests of small and marginal farmers who do not have enough marketable surplus to benefit from enhanced support prices, the Government of India sanctioned a Special Scheme with an outlay of Rs. 500 crores to develop agricultural infrastructure for the small and marginal farmers.

The following were suggested as guidelines while States were allowed adequate flexibility in taking up schemes from amongst the guidelines or as per felt needs and local conditions :—

(i) Buffer-stocking of quality seeds/ seed production in North-East;

(ii) Schemes for provision of bore/ shallow tubewells, etc.

(iii) Drip irrigation system among small/marginal cotton cultivators;

(iv) Land development including reclamation of soils;

(v) Strengthening infrastructure for small/marginal farmer cooperatives for poultry, fishery, fruit/vegetables, etc.

(vi) Improving storage/retail outlets, provision of soil testing laboratories to promote fertiliser use in low consumption areas;

(vii) Promote use of small tractors;

(viii) Setting up fertiliser quality control infrastructure; and

(ix) Establishment of biological control laboratories.

उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं

343. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत वर्ष चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं में क्या लक्ष्य रखे गए थे तथा उनकी उपलब्धि क्या रही है;

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण तथा विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है । इन योजनाओं के संबंध में कोई निश्चित राज्यवार लक्ष्य नहीं है । संबंधित योजनाओं के बारे में सूचना राज्य सरकारों को भेजी जाती है और उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूरियां जारी की जाती हैं। योजनाओं के ब्यौरे, 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को निर्मुक्त की गई निधियां तथा वास्तविक कवरेज जिसमें कवर किए गये लाभग्राहियों की संख्या भी शामिल है, यथा उपलब्ध निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही योजना	1991–92 के दौरान निर्मुक्त निधियां तथा लाभग्राहियों की संख्या
अनुसूचित जाति विकास	निर्मुक्त निधियां	(राशि लाख में) कवर किए गए लाभग्राहियों की संख्या
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	700.00	2,32,257
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	49.79	14,613
3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पुस्तक बैंक	2.00	911

1	2	3
4. लड़कियों/लड़कों के लिए होस्टल	127.18	25 होस्टलों 1250
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	9.01	200
6. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	800.00	573 प्रशिक्षणार्थी
7. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रवर्त्तन हेतु यंत्र का सुदृढ़ीकरण	128.00	3116
8. अनुसूचित जाति विकास निगम	356.38	54.287
9. विशेष संघटक योजना की विशेष केन्द्रीय सहायता	4844.77	3,49,703 परिवार
10. स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	15.74	8 संगठन
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	555.00	4 प्रोजेक्ट 15,739
आदिवासी विकास		
12. अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत सहायता अनुदान	8.64	3.40 लाख
13. आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	58.40	4251 परिवार
14. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	20.12	4 संगठन 630
विकलांग कल्याण		
15. विकलांग व्यक्तियों संबंधी संगठनों की सहायता	97.24	23 संगठन
16. सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	439.00	30,849
17. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार	3.53	105
18. जिला पुनर्वास केन्द्र	14.55	4533
19. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति	35.00	3500
समाज रक्षा		
20. मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण संबंधी स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	43.08	19 संगठन
21. संगठनात्मक सहायता की योजना	00.50	1 संगठन
22. किशोर समाज कुसमायोजन निवारण एवं नियंत्रण	10.60	2493
23. समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता संबंधी सामान्य सहायता अनुदान योजना	1.69	3 संगठन 110
24. सुरक्षा तथा देखभाल की जरूरत मन्द बच्चों के कल्याणार्थ सहायता अनुदान	31.09	3192 बच्चे